

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार अधिघोषणा

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम -बरूही थाना नं० -363 अंचल -सहार, जिला-भोजपुर में सार्वजनिक परियोजनार्थ सकड्डी से नासरीगंज तक बिहार राज्य पथ निर्माण के लिए सार्वजनिक व्यय से जमीन लेनी की आवश्यकता है ।

अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ ग्राम -बरूही में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश कृषि योग्य 0.835 एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा निम्न प्रकार है :-

अंश खेसरा - 3541,3543, 3544, 3545, 3546, 3552, 3553, 3554,3555, 3556,
3557, 3561,3562, 3563, 3566, 3567,3569,3570, 3573, 3574, 3577, 3578, 3580,
3581,3582, 3583, 3584, 3586, 3588, 3591, 3592, 3593, 3637,3638, 3639, 3670, 3671,
3672, 3674, 3690, 3691, 3692,3693,

चौहद्दी :-

उत्तर - नीज मौजा बरूही थाना नं०- 363

दक्षिण -नीज मौजा बरूही थाना नं०- 363


पूरब - 3692, 3693, 3691, 3690, 3689, 3688, 3687, 3686, 3674, 3672, 3670, 3639,
3638, 3637, 3593, 3592, 3591, 3588,

पश्चिम - 3541, 3543, 3544, 3545, 3546, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3561,
3562, 3563, 3566, 3567, 3569, 3570, 3573, 3574, 3577, 3578, 3580, 3581, 3582,
3583, 3584

भूमि या भूमि के किसी भाग में निचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य किसी खनीजो एवं खानों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनीजो के वे भाग जिन्हें जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना या उपयोग में लाना हो तो तो ले लिये जायेंगे । यह अधिघोषणा अधिनियम 1-1894 की धारा 6 और अधिनियम 1885 की धारा 3 के खण्ड (1) के उपबंधों के अधिनियम जैसा कि भू अर्जन बिहार संशोधन अधिनियम (II) सन्

1960 के द्वारा संशोधित हुए है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


समाहर्ता,
भोजपुर, आरा

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञा० सं०-14/डी०एल०ए० भोजपुर (रा०उ०प०)-121/12-3038 पटना-15, दिनांक-24/12/2012


ज्ञापक

दिनांक

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को अधिघोषणा का प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों आज एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि प्रकाशित सूचना का प्रेस कतरन कृपया समाहर्ता, भोजपुर एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय।

प्रतिलिपि :- प्रभारी उपसमाहर्ता जिला गजट शाखा समाहरणालय, भोजपुर को दो प्रतियों में जिला गजट के अगला असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी दस प्रतियों में इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय भोजपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, भोजपुर आरा/ जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना